रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1980/भाद्र 15, 1902

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980/BHADRA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 889.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के मद 15 में, उपमद (क) के, जो दिल्ली से संबंधित है, सामने,—

(क) विद्यमान प्रविष्टि (ii) से (xii) तक को प्रविष्टि (iii) से (xiii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (iii) के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) श्री चमन लाल चौधरी, केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल;"

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(xiv) श्री सी० के० महाजन, केन्द्रीय सरकार अभिवक्ता"।

[सं० एफ० 24(9)/79-न्यायिक]

बी० एस० सेखों, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th July, 1980

G.S.R. 889.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification in item 15, relating to Delhi, against sub-time(a),—

(a) the existing entry (ii) to (xii) shall be re-numbered as entries (iii) to (xiii);

(B) before entry (iii) as so re-numbered, the following entry shall be inserted, namely :—

"(ii) Shri Chaman Lal Choudhry, Central Government Standing Counsel;";

(C) after entry (xiii) as so re-numbered, the following entry shall be inserted, namely :—

"(xiv) Shri C. K. Mahajan, Central Government Pleader".

[No. F. 24(9)/79-Judl.]

B. S. SEKHON, Jt. Secy. & Legal Adviser

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 890.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(ड) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा

594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग) कम्पनी विधि बोर्ड, की दिनांक 21-12-1979 की अधिसूचना, सं० सा० का० नि० 3, जो भारतीय राजपत्र के भाग 2, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (1) में दिनांक 5-1-1980 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

"कथित अधिसूचना के पैरा 2 का खंड (4) विलोपित किया जायेगा"।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से ।

[फाइल सं० 14/12/79-सी० एल० 6]

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 8th August, 1980

G.S.R. 890.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-Section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. SRO 3216 dated the 4th October, 1957 The Company Law Board hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Department of Company Affairs) Company Law Board G.S.R. 3 dated 21-12-79 published in the Gazette of India Part II,-Section 3, Sub-Section (i) of 5-1-80 namely :—

"In the said Notification in clause (iv) of para 2 shall be omitted"

By order of the Company Law Board.

[F. No. 14/12/79-CL VI]

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 891.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मै० ट्रान्सोकैनिक इन्जीनियर्स लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं 31-12-75 से 31-12-79 तक के वित्तीय वर्षों की समाप्ति के विश्व लेखाओं की बाबत इस आधार पर लागू नहीं होंगी, यदि कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को कथित पूर्ववर्ती वर्षों के भारतीय व्यापार के तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे प्रस्तुत करे ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से

[फा० स० 14/4/77-सी०एल 6]

New Delhi, the 18th August, 1980

G.S.R. 891.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as the Notification), the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Transocanic Engineers Ltd. Company (hereinafter referred to as the Company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 shall not apply in respect of its World accounts for the financial year ended 31-12-75 to 31-12-79 subject to the condition that Company submits to the appropriate Registers of Companies in India its Indian Business Balance Sheet and Profit & Loss Account for the said corresponding years.

By Order of the Company Law Board.

[No. 14/4/77-CL.VI]

सा० का० नि० 892—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिसूचना" कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स केमटैक्स ओवरसीज, इन्क० (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं 31-12-75 से 31-12-79 तक के वित्तीय वर्षों की समाप्ति के विश्व लेखाओं की बाबत, इस नियंत्रण के आधार पर लागू नहीं होगी यदि कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को कथित पूर्ववर्ती वर्षों के भारतीय व्यापार के तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे प्रस्तुत करे ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से

[फाइल सं० 15/4/77-सी० एल० 6]

बी० प्रसाद, अवर सचिव ।

S.R.O. 892.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October 1972 and in partial modification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as the Notification), the Company Law Board hereby Directs that in the case of M/s. Chemtex Overseas inc. (hereinafter referred to as the Company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 shall not apply in respect of its World accounts for the financial year ended 31-12-75 to 31-12-79 subject to the condition that Company submits to the appropriate Registrars of Companies in India its Indian Business Balance Sheet and Profit & Loss Account for the said corresponding years.

By Order of the Company Law Board.

[F. No. 14/5/77-CL-VI]

B. PRASAD, Under Secy.

गृह मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 893—दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियम, 1971 में संशोधन करने सम्बन्धी, इस मंत्रालय की तारीख 13 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना सं० 14012/14/78-यू टी एस के उप-पैरा 2(3) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

"ग्रेड-I के पद केन्द्रीय सिविल ए ग्रुप के पद होंगे और ग्रेड-II के पद केन्द्रीय सिविल बी ग्रुप के पद होंगे ।"

[सं० यू-14012/14/78 यूटीएस]

बी० के० कांजीलाल, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 1980

G.S.R. 893.—In the Ministry's Notification No. 14012/14/78-UTS dated the 13th December, 1978, amending the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, sub-para 2(3) thereof may be substituted as under;

"The posts in Grade I shall be Central Civil Group A posts and those in Grade II shall be Central Civil Group B posts".

[No. U-14012/14/78-UTS]

B. K. KANJILAL, Desk Officer.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 894.—12 अप्रैल, 1980 को भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 31 मार्च, 1980 सा० का० नि० सं० 409 की अधिसूचना में पृष्ठ 782 से 784 पर—

पृष्ठ 782 पर :—

(i) कालम 6 में "35 वर्ष से अधिक नहीं" के स्थान पर "35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट होगी)" पढ़ें,

पृष्ठ 783 पर :—

(ii) कालम 7 में—

(क) पंक्ति 18 में, "कम से कम 5 वर्ष" के स्थान पर "5 वर्ष" पढ़ें;

(ख) पंक्ति 19 में, "अथवा" के स्थान पर "तथा/अथवा" पढ़ें;

(ग) नीचे से 6ठी पंक्ति में "संस्कृत अथवा" के स्थान पर "संस्कृत तथा/अथवा" पढ़ें।

[एफ०-14012/3/78-ए० एन० एल०]

उमा पिल्ले, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 1980

G.S.R. 894.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R 409 dated the 31st March 1980, published in the Gazette of India, Part II, Section 3-Sub-section (i), dated the 12th April, 1980 at pages 784 to 786—at page 785 :—

(i) under column 6, for "Not exceeding 35 years", read "Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants)";

(ii) under column 7—

(a) in line 9, for "recognised university" read "recognised university or";

(b) in line 24, for "At least 5 years" read "5 years";

(c) in line 25, for "work in Hindi" read "work in Hindi and/";

(d) in line 6 from the bottom, for "Sanskrit or", read "Sanskrit and/or"

[F. No. 14012/3/78-ANL]

UMA PILLAI, Dy. Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 895.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1980 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक के अधीन तत्स्थानी पद :—

"(i) उप पुलिस महानिरीक्षक (नशाबन्दी)-1

(ii) पुलिस अधीक्षक (नशाबन्दी) मद्रास-1"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायें :—

(i) उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रवर्तन)-1

(ii) पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन)-1

[संख्या 2673/80-अ० भा० से० (2)-क]

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 11th August, 1980

G.S.R. 895.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1961 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Tamil Nadu hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixaton of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 under 'TAMIL NADU' for the entries :—

"Deputy Inspector General of Police, Prohibition-1"

"Supreintendent of Police, Prohibition, Madras-1"

the following entries shall be substituted, namely :—

"Deputy Inspector General of Police Enforcement-1"

"Assistant Inspector General of Police, Enforcement-1"

[No. 2673/80-AIS(II)-A]

सा० का० नि० 896.—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 (क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची-III-क में तमिलनाडु के अधीन तत्स्थानी पद "उप महानिरीक्षक (नशाबन्दी)" के स्थान पर "उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन)" प्रतिस्थापित किए जायें।

(ख) अनुसूची III-ख में तमिलनाडु के अधीन तत्स्थानी पद, "पुलिस अधीक्षक, मशाबन्दी, मद्रास" के स्थान पर "सहायक, पुलिस महानिरीक्षक (प्रवर्तन)" प्रतिस्थापित किए जायें।

[संख्या 2673/80-अ० भा० से०(2)-ख]

वी० के० चेरियम, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th August, 1980

G.S.R. 896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay), Seventh Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule III appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(a) under the heading "A—Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Police Service under the State Governments" in the Table under the heading "TAMIL NADU" for the existing entry:—

"Deputy Inspector General of Police Prohibition."

the following entry shall be substituted, namely :—

"Deputy Inspector General of Police, Enforcement".

(b) under the heading "B—Posts carrying pay in the Senior Scale of Indian Police Service under the State Governments" in the Table under the heading "TAMIL NADU" for the existing entry :—

"Superintendent of Police, Prohibition, Madras"

the following entry shall be substituted, namely :—

"Assistant Inspector General of Police, Enforcement".

[No. 2673/80-AIS(II)-B]

V. K. CHERIAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 897.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 25 अगस्त, 1979 के पृष्ठ 2063 और 2064 पर प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1080, तारीख 6 अगस्त, 1979 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

[फा० सं० 12011/4/78-आई० एस० एस०]

पी० जी० लेले, उप सचिव।

New Delhi, the 12th August, 1980

G.S.R. 897.—The Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms No. G.S.R. 1080, dated the 6th August, 1979, published in the Gazette of India, Part-II Section 3-Sub-Section (i), dated the 25th August, 1979 on pages 2063 and 2064 is hereby cancelled.

[F. No. 12011/4/78-ISS]

P. G. LELE, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 898.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(1) "वर्ग 3" शब्द और अंक, जहां कहीं वे आते है, के स्थान पर "समूह ग" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(2) "वर्ग 4" शब्द और अंक, जहां कहीं वे आते है, के स्थान पर "समूह घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं० 1 के लिए स्तम्भ 1 से 13 तक की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"1. अधीक्षक	8	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय	700-30-760-35-900 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	(क) सहायक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है, (ख) ऊपर (क) के न हो सकने की दशा में ऐसे सहायक जिन्होंने सहायक और प्रधान लिपिक दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 8 वर्ष सेवा की है। (ग) ऊपर (क) और (ख) के न हो सकने की दशा में ऐसे प्रधान लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है।	समूह ग	लागू नहीं होता

[फा० सं० 2/2/80/शा० 1 ए (सी)]
बी० के० अरोड़ा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th August, 1980

G.S.R. 898.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Central Civil Services (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Central Civil Services (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Central Civil Services (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules) ;

(1) for the word and figures "Class III" wherever they occur, the word and letter "Group C" shall be substituted ;

(2) for the word and figure "Class IV" wherever they occur, the word and letter "Group D" shall be substituted.

3. In the Scheduled to the said rules, for Serial No. 1 relating to the post of Superintendent, for entries in columns 1 to 13, the following shall be substituted, namely:—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required
1	2	3	4	5	6	7
"1. Superintendent	8	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Ministerial	Rs. 700-30-760-35-900	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation, transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	(a) Assistants with 8 years servcie in the grade ; (b) failing (a) above, Assistants with 8 years, service in the grades of Assistant and Head Clerk taken together; (c) failing (a) and (b) above, Head Clerks with 8 years service in the grade.	Group 'C'	Not applicable"

[F. No. 16/80 F. No. 2/2/80 Ad. IA(C]
B.K. ARORA, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 899.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/59-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 मई, 1959 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"26.	बायलर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद स० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेण्ट, मद स० 22ख के अन्तर्गत, आने वाले एसबसटोस, गास्केट, पट्टे, वाल्व, गढ़ी हुई वस्तुएं, पाइपिंग सामग्री और हार्डवेयर, ज्वलन ट्रांसफार्मर, उच्चतापसह वस्तुएं और काच ऊन, मद 23 के अन्तर्गत आने वाली उच्चतापसह सीमेंट, मद संख्या 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबा ट्यूब, मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहे और इस्पात के उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद स० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद स० 30क के अन्तर्गत आने वाले पम्प, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश बल्ब, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायुचालक पंखे, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद स० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाला बिजली का माल।
27.	धार्मिक गरम हीटर	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेन्ट, मद सं० 22ख के अन्तर्गत आने वाले एसबेस्टास टेप, रस्सियां और गास्केट, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबा की ट्यूबें, मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात के उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 30क के अन्तर्गत आने वाले पम्प, मद स० 32 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश बल्ब और प्रकाश करने वाली वस्तुएं, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायुचालक पंखे, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले प्रेशर गाज, ज्वलन ट्रांसफार्मर, पाइपिंग सामग्री और हार्डवेयर, गढ़ी हुई वस्तुएं, वाल्व।
28.	फुहार पेंटिंग और सुखाने के बूथ	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेंट, मद सं० 22ख के अन्तर्गत आने वाले फाइबर कांच की रोधी सामग्री, मद 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 30ख के अन्तर्गत आने वाले स्टार्टर, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाली विद्युत प्रकाश की वस्तुएं, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायुचालक पंखे,

(1)	(2)	(3)
28	फुहार पेंटिंग और सुखाने के यूथ—(जारी)	मद 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली गढ़ी हुई वस्तुएं, ज्वलन ट्रांसफार्मर, वाल्व और अन्य बिजली की वस्तुएं ।
29.	थर्मोप्लाक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेन्ट, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाले तांबे के पाइप और ट्यूबें, मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाली एलुमिनियम चादरें और ढली हुई वस्तुएं, मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश बल्ब, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायु चालक पंखे, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 49 के अन्तर्गत आने वाले बेयरिंग, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले प्रेशर गाज, गढ़ी हुई वस्तुएं, पाइपिंग सामग्री और हार्डवेयर, वाल्व और बिजली की वस्तुएं ।
30.	वाहित्र	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेंट, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबे की ट्यूबें, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायु चालक पंखें, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली गढ़ी हुई वस्तुएं, ज्वलन ट्रांसफार्मर, टी पी एल पाइप, थर्मामीटर वाल्व और बिजली की वस्तुएं, पाइपिंग सामग्री और हार्डवेयर ।
31.	ताप आधान	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेंट, मद सं० 22ख के अन्तर्गत आने वाला फाइबर कांच और रोधी सामग्री, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबें की ट्यूबें, मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाला लोहा और इस्पात उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली
31	ताप आधान—(जारी)	मोटरें, मद सं० 30क के अन्तर्गत आने वाले पम्प, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश और बल्ब, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले तिष्का-मक और वायुचालक पंखे, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले पेंच और बोल्ट, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले ज्वलन ट्रांसफार्मर, वाल्व, संपीडित्र, बेम एक्स-चेंज सापटनेस, टंकियां और बिजली की अन्य वस्तुएं, पाइपिंग सामग्री और हार्ड-वेयर ।
32.	वेयरजेट	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेंट, मद सं० 22ख के अन्तर्गत आने वाली उच्चतापसह सीमेंट, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबें की ट्यूबें, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 30क के अन्तर्गत आने वाले पम्प, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश और बल्ब, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत प्रकाश और बल्ब, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली गढ़ी हुई वस्तुएं, प्रेशर गाज, ज्वलन ट्रांसफार्मर, पाइपिंग सामग्री और हार्ड-वेयर ।
33	हार्डड्रोप्लाक	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले पेंट, मद सं० 22ख के अन्तर्गत आने वाली एसबेस्टोस रस्सियां टेप और गास्केट, मद सं० 23 के अन्तर्गत आने वाली उच्चतापसह सीमेंट, मद सं० 26क के अन्तर्गत आने वाली तांबें की ट्यूबें, मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहा और इस्पात के उत्पाद (विभिन्न प्रकार के), मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली मोटरें, मद सं० 30क के अन्तर्गत आने वाले पम्प, मद सं० 32 के अन्तर्गत आने वाले बिजली के प्रकाश की वस्तुएं और बल्ब, मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले वायु चालक पंखें, मद सं० 33ख के अन्तर्गत आने वाले बिजली के तार और केबल, मद सं० 52 के अन्तर्गत आने वाले बोल्ट और पेंच, मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली

(1)	(2)	(3)
33	हाइड्रोब्लाक—(जारी)	गढ़ी हुई वस्तुएं, प्रेशर गाज, इग्निशन ट्रांसफार्मर, पाइपिंग सामग्री और हार्डवेयर"।

[अधिसूचना सं० 137/80-के०उ०शु० फा०सं० 261/68/1/80-सी एक्स-8]

एम०डी० खरे, अवर सचिव

G. S. R. 899.—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/59-Central Excises, dated the 9th May, 1959, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"26	Boilers	Paints falling under Item No. 14, asbestos gaskets, tapes, valves, fabricated items, piping material and hardwares, ignition transformer, refractories and glass wool falling under Item No. 22F, refreactory cement falling under item No. 23, copper tube falling under Item No. 26A, iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, pumps falling under Item No. 30A, electric lamps falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, bolts and nuts falling under Item No. 52, electrical goods falling under Item No. 68, of the First Scheduled to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
27	Thermic Fluid heaters	Paints falling under Iiem No. 14, asbestos tapes, ropes and gaskets falling under Item No. 22F, copper tubes falling under Item No. 26A. iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, pumps falling under Item No. 30A, electric lamps and lights falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, bolts and nuts falling under Item No. 52, pressure gauges, ignition transformer, piping material and hardware, fabricated items, valves falling under Item No. 68, of the First Schedule to

(1)	(2)	(3)
27.	Thermic Fluid heaters—(contd.)	the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
28	Spray painting and drying booths	Paints falling under Item No. 14, Fibre glass insulating material falling under Item No. 22F, Iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, starters falling under Item No. 30B, electric lights falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, bolts and nuts falling under Item No. 52, fabricated items, ignition transformer, valves and other electrical items falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
29	Thermoblocs	Paints falling under Item No. 14, copper pipes and tubes falling under Item No. 26A, iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, aluminium sheets and castings falling under Item No. 27, motors falling under Item No. 30, electric lamps falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electtic wires and cables falling under Item No. 33B, bearings falling under Item No. 49, nuts and bolts falling under Item No. 52, pressure gauges, fabricated items, piping material and hardware, valves and electrical items falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and dalt Act, 1944 (1 of 1944).
30	Incinerators	Paints falling under Item No. 14, copper tubes falling under Item No. 26A, iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, blower fans falling under Item No. 33, electric, wires and cables falling under Item No. 33B, fabricated items, ignition transformer, TPL pipes, Thermometer valves and electrical items, piping material and hardware falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
31	Thermo containers	Paints falling under Item No. 14, fibre glass and insulating material falling under Item No. 22F, copper tubes falling under Item No. 26A, iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, pumps falling under Item No. 30A,

(1)	(2)	(3)
31.	Thermo containers —(contd)	electric lights and lamps falling under Item No. 32, exhaust and blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, nuts and bolts falling under Item No. 52, ignition transformer, valves, compressors, base exchange softeners, tanks and other electrical items, piping materials and hardware falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
32	Vapour Jets	Paints falling under Item No. 14, asbestos ropes, tapes and gaskets falling under Item No. 22F, refractory cement falling under Item No. 23, copper tubes falling under Item No. 26A, iron and steel products (different sorts) falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, pumps falling under Item No. 30A, electric lights and lamps falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, bolts and nuts falling under Item No. 52, fabricated items, pressure gauge, ignition transformer, piping materials and hardware falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
33	Hydroblocs	Paints falling under Item No. 14, asbestos ropes, tapes and gasekets falling under Item No. 22F, refractory cement falling under Item No. 23, copper tubes falling under Item No. 26A, iron and steel prodscts (different sorts), falling under Item No. 26AA, motors falling under Item No. 30, pumps falling under Item No. 30A, electric lights and lamps falling under Item No. 32, blower fans falling under Item No. 33, electric wires and cables falling under Item No. 33B, bolts and nuts falling under Item No. 52, fabricated items, pressure gauge, ignition transformer, piping materials and hardware, falling under Item No. 68, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[Notification No. 137/80-C.E. F. No. 261/68/1/80-CX8.]

S. D. KHARE, Under Secy.

सा० का० नि० 900.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम 7(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" में पदों की बाबत स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा स्तम्भ 4 और 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक पद के सामने स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के बारे में क्रमश: अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे ।

अनुसूची

क्र०	पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो यह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में मद संख्या कों के सन्दर्भ में)		अपील प्राधिकारी
			अनुशासनिक प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5	6
	समझौता आयोग (आय-कर/धन-कर)				
1.	सभी समूह 'ख' पद	अध्यक्ष, समझौता आयोग	अध्यक्ष, समझौता आयोग	सभी	वित्त मंत्रालय में सचिव
2.	(क) सभी समूह 'ग' पद	सचिव, समझौता आयोग	सचिव, समझौता आयोग	सभी	अध्यक्ष, समझौता आयोग
	(ख) प्रादेशिक कार्यालयों में सभी समूह 'ग' पद	सचिव, समझौता आयोग	1. सचिव, समझौता आयोग	सभी	अध्यक्ष, समझौता आयोग
			2. अपने अपने प्रादेशिक कार्यालय में कार्यालय प्रधान	(i) से (iv) तक	
3.	सभी समूह 'ग' पद	कार्यालय प्रधान	कार्यालय प्रधान	सभी	सचिव, समझौता आयोग

[फा०सं० 21/35/80-प्रशा० 1-ए (सी)]

कैलाश पति दत्त डण्डन, डैस्क अधिकारी

G. S. R. 900.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (i) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Civil Services Group 'B', Group 'C' and Group 'D' specified in column 2 of the Schedule annexed to this Order, the authority specified in Column 3 shall be the appointing authority and the authorities

specified in columns 4 and 6 shall be the disciplinary authorities and appellate authorities respectively with regard to the penalties specified in column 5 against each of the posts.

SCHEDULE

Sr. No.	Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
			Disciplinary Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
	Settlement Commission (Income-tax/Wealth Tax)				
1.	All Group 'B' posts	Chairman, Settlement Commission	Chairman, Settlement Commission	All	Secretary in the Ministry of Finance
2.	(a) All Group 'C' posts	Secretary, Settlement Commission	Secretary, Settlement Commission	All	Chairman, Settlement Commission
	(b) All Group 'C' Posts in the Regional Offices	Secretary Settlement Commission	(i) Secretary Settlement Commission	All	Chairman, Settlement Commission
			(ii) Head of Office in the respective Regional Office	(i) to (iv)	
3.	All Group 'D' posts	Head of Office	Head of Office	All	Secretary, Settlement Commission.

[F. No. 21/35/80-Ad. I-A (C)]

KAILASH P.D. TANDAN, Desk Officer

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 901.--प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ सन्याल को नदिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 27 अगस्त, 1980 से प्रारम्भ होकर 26 अगस्त, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सुरेन्द्र नाथ सन्याल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-21/80-आर० आर० बी०]

इन्द्रानी सेन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 26th August, 1980

G.S.R. 901.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Sourendra Nath Sanyal as the Chairman of the Nadia Gramin Bank, Krishnagar and specifies the period commencing on the 27th August, 1980 and ending with the 26th August, 1983 as the period for which the said Shri Sourendra Nath Sanyal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-21/80-RRB]

INDRANI SEN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्यिक विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 902.--केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (8) के साथ पठित उसकी धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 में--

(क) नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"10क. बोर्ड द्वारा व्यक्तियों का सहयोजन :

(1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, किसी अन्य निकाय की सिफारिशों के आधार पर या अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में तम्बाकू उद्योग की प्रोन्नति में हितबद्ध व्यष्टियों या संगमों के अभ्यावेदनों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।

(2) ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की पदावधि वह अवधि होगी जिस तक बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है या वह अवधि होगी जो बोर्ड विनिश्चित करे, इस में जो भी पूर्वतर है।"

(ख) अध्याय V के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय Vक"

बोर्ड के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते

"30क. बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते :-

(1) सरकारी सेवक से भिन्न, बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत सहयुक्त या सहयोजित सदस्य भी है; बोर्ड के या उसकी सम्यक्-गठित किसी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या सम्बद्ध समिति द्वारा उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत सरकार द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की गई किसी यात्रा की दशा में, जिसे बोर्ड से किसी समिति की सेवा करने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कारबार को करने के लिए विशेष रूप से

नाम निर्देशित या सहयोजित किया है, अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते बोर्ड द्वारा उन दरों पर संदेय होंगे जो उसे ऐसी सरकार के जिसके अधीन वह उस समय नियोजित है, नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(3) किसी सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि उसने यात्रा और विश्राम की बाबत जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(4) यात्रा भत्ता सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से अधिवेशन के स्थान तक या ऐसे स्थान तक जहां वह बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी कारबार को करने के लिए गया है और उस स्थान से वापस उसके निवास स्थान तक संदेय होगा :

परन्तु जब यात्रा उसके प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से प्रारंभ होती है या समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक सीमित होगा जो तब संदेय होती जब यात्रा प्रायिक निवास स्थान से प्रारंभ होती और वहां समाप्त होती या उस रकम तक सीमित होगा जो वास्तव में की गई यात्रा की बाबत संदेय है, इनमें से जो भी कम है :

परन्तु यह और भी कि विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अध्यक्ष किसी स्थान के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न स्थान से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।.

(5) अध्यक्ष, बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्तों के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा।

30ख. सवारी भत्ता—बोर्ड या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड का कोई अन्य कारबार करने के लिए कोई सवारी भत्ता उन सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता लेते हैं।

परन्तु ऐसे सदस्य को जो ऐसे स्थान का निवासी है जहां बोर्ड या उसकी किसी समिति का अधिवेशन होता है या जहां बोर्ड के किसी अन्य कारबार का संव्यवहार होता है, उसके द्वारा सवारी पर उपगत वास्तविक खर्च का संदाय किया जा सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए अधिक से अधिक दस रुपए होगा।"

[फाइल सं० 8/7/80-ई पी (ए०-6)]

ओ० पी० गुप्त, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 22nd August, 1980

G.S.R. 902.—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-section (8) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tobacco Board Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tobacco Board (Second Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tobacco Board Rules, 1976—

(a) after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :—

"10A. Association of persons by Board :

(a) after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :—

"10A. Association of persons by Board :

(1) The Board may associate with itself any person, either on its own or on the basis of recommendations from the Central Government, the State Governments, Public Sector Undertakings, any other body or on the basis of representations from individuals or associations interested in the promotion of tobacco industry in complying with any of the provisions of the Act.

(2) The tenure of such associated persons shall be the period upto which the Board is reconstituted or the period as decided by the Board, whichever is earlier."

(b) after Chapter V, the following Chapter shall be inserted, namely :—

"CHAPTER V A"

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES TO MEMBERS OF THE BOARD

"30A. Travelling and other allowances to members of the Board and its Committees :—

(1) A member, including an associated member or co-opted member, of the Board or any Committee, other than a Government servant, shall be entitled to draw, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the Board or of a duly constituted Committee thereof or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Board or the Committee concerned, travelling allowance and daily allowance at the highest rates admissible to Government servants of the first grade under the rules and orders made by the Central Government and for the time being in force.

(2) In the case of any journey performed by an official of the Central or State Government specially nominated or co-opted by the Board to serve on any Committee or to attend to any other business of the Board, the travelling and daily allowances admissible to him shall be payable by the Board, at the rates admissible to him under the rules of the Government under which he is for the time being employed.

(3) No travelling allowance or daily allowance, shall be allowed to a member unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(4) Travelling allowance shall be payable from the usual place of residence of a member to the place of the meeting or the place where he has gone to attend to any business of the Board or any of its Committees and back to his place of residence :

Provided that when the journey commences from, or the return journey terminates at any place other than his usual place of residence, the travelling allowance shall be limited to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place or residence or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less :

Provided further that in special circumstances and with the previous approval of the Central Government, the Chairman may grant travelling allowance from places other than the usual place of residence of a member.

(5) The Chairman shall be the controlling officer for the purposes of travelling and daily allowances of the members of the Board or of any Committee thereof.

30B. Conveyance Allowances :

No conveyance allowance for attending meetings of the Board or any of its Committees or for attending to any other business of the Board, shall be paid to those members who draw travelling or daily allowance :

Provided that a member who is resident at a place where the meeting of the Board or any of the Committees is held or where any other business of the Board is transacted, may be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him subject to a maximum of rupees ten per day."

[File No. 8/7/80-EP(Agri.-vi)]

O. P. GUPTA, Desk Officer

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1980

सा॰का॰नि॰ 903.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी और वनस्पति निदेशालय [निरीक्षक (वनस्पति)] भर्ती नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय [निरीक्षक (वनस्पति)] भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी और वनस्पति निदेशालय [निरीक्षक (वनस्पति)] भर्ती नियम, 1958 की अनुसूची में स्तम्भ- 7 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"7. आवश्यक :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या तेल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।

(2) किसी विनिर्माण समुत्थान या विश्लेषण प्रयोगशाला अथवा निष्कर्षण कार्य में तेल और वसा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय :

(1) छोटे स्तर पर तिलहनों के उत्पादन और उपापन की जानकारी और विलेयक निष्कर्षण तेल उद्योग या कोल्हू तेल उद्योग का ज्ञान।

(2) मद (1) में विनिर्दिष्ट उद्योगों में से किसी एक में अनुसंधान और विकास का अनुभव"।

[मिसिल संख्या-ए-12011/7/77-स्थापना (वन०)]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 7th August, 1980

G.S.R. 903.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Sugar and Vanaspati [Inspector (Vanaspati)] Recruitment Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Vanaspati Vegetable Oils and Fats [Inspector (Vanaspati)] Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Sugar and Vanaspati [Inspector (Vanaspati)] Recruitment Rules, 1958, in the Schedule, for the entries under column 7, the following entries shall be substituted namely :—

'7. Essential :

(i) Master's Degree in Chemistry or Post-graduate Degree in Oil Technology of a recognised University or equivalent.

(ii) Two years' experience in Oils and Fats in a manufacturing concern or analytical laboratory or extraction work.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communites possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

(i) Knowledge of minor oil seeds production and procurement and processing knowledge of Solvent Extraction Oil Industry or Expeller Oil Industry.

(ii) Research and development experience in either of the industry specified in item (i)".

[File No. A-12011/7/77-Estt. Van]

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, 16 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 904.—भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की 9 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 704, जो भारत के राजपत्र संख्या 27 भाग 2, खंड 3, उप खंड (1) दिनांक 5 जुलाई, 1980 के पृष्ठ 1446 से 1448 में प्रकाशित हुई है, के पृष्ठ 1446 में कालम 6 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

सेवा में जोड़े गये वर्षों का
फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा
(पेंशन) नियम 1972 के
नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय
है या नहीं।
—6(क)—
"नहीं"

[मिसिल संख्या ए-12011/73/77-प्रशासन-I]

के० एस० बाजवा, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th August, 1980

G.S.R. 904.—In the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) No. G.S.R. 704 dated the 9th May, 1980 published at pages 1948 to 1950 of the Gazette of India No. 27 Part II—Section 3—Sub-Section (i) dated the 5th July, 1980 at page 1949, the following may be added after column 6 :—

Whether benefit of added Years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972—

(6A)—

"No"

[File No. A-12011/73/77-Estt. I]

K. S. BAJWA, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 905.—भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 1961 के नियम 44 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1 (1) ये नियम भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता, एवं अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1980 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता, एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 1961 के नियम 32 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

"32 अतिरिक्त छुट्टिया (1) इस सेवा के कर्मचारी ने जितनी अवधि के लिए भारत से बाहर सेवा की हो उतनी अवधि के लिए अतिरिक्त छुट्टिया उसके खाते में जमा कर दी जायेंगी।"

[संख्या-क्यू (जीए) 791 (32)/80]

जी० एस० भाटिया, विशेषाधिकारी (जी ए और टी जी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 6th August, 1980

G.S.R. 905. In exercise of the powers conferred by the provision of Rule 44 of the Indian Foreign Service (Pay, Leave, Compensatory Allowances and other conditions of service) Rules, 1961, the President is pleased to make the following amendment :—

1(i) These rules may be called the Indian Foreign Service (Pay, Leave, Compensatory Allowances, and other conditions of service) Amendment Rules, 1980.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Sub rule (1) of Rule 32 of the Indian Foreign Service (Pay, Leave, Compensatory Allowances, and other conditions of Service) Rules, 1961 shall be substituted by the following :—

"32 Additional Leave (1) A member of the service shall be entitled to an additional credit of leave for a period of service spent outside India."

[No. Q(GA)791(32)/80]

G. S. BHATIA, Officer on Special Duty (GA & TG)

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 906.—केन्द्रीय सरकार विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948) का 54 की धारा 68 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) दिनांक 28 मार्च, 1980 में प्रकाशित भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, (विद्युत विभाग) के सा० का० नि० सं० 142(अ), दिनांक 27 मार्च, 1980 की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद ग (क) (iii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(4) गैस टरबाइन विद्युत········ पन्द्रह"

[सं० 19/2/80-डेस्क-I]

कमलाकर मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 4th August, 1980

G.S.R. 906.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government after consultation with the Authority, hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy and Irrigation (Department of Power), G.S.R. No. 142(E), dated the 27th March, 1980, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 sub-section (i) dated the 28th March, 1980 :—

In the Schedule to the said notification, after item C(a)(iii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely :—
"(iv) Gas Turbine Electric.......Fifteen".

[No. 19/2/80-Desk-I]

KAMALAKAR MISHRA, Jt. Secy.

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 907.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० पी एफ 1-15(5)/48, तारीख 11 दिसम्बर, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1980 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 66 में,—

(क) उप पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यदि वह व्यक्ति जिसे इस स्कीम के अधीन किसी रकम का संदाय किया जाना है, ऐसा अप्राप्तवय है जिसकी संपदा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980 (1890 का 8) के अधीन संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो संदाय ऐसे संरक्षक को किया जाएगा यदि ऐसा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है तो संदाय पैरा 62 के उप पैरा (4क) के अधीन नियुक्त किए गए संरक्षक को, यदि कोई है किया जाएगा । जहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 (1890 का 8) या इस स्कीम के पैरा 62 के उप पैरा (4क) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया वहां संदाय नैसर्गिक संरक्षक के अभाव में ऐसे व्यक्ति को जो अप्राप्तवय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित व्यक्ति माना जाए, सहायक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 5000 रु० की रकम तक, प्रादेशिक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 15000 रु० की रकम तक, संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 20,000 रु० की रकम तक और जहां रकम 20,000 रु० से अधिक है, आयुक्त द्वारा संदाय किया जाएगा;

परन्तु किसी अप्राप्तवय के संरक्षक के रूप में एक से अधिक दावेदार होने की दशा में, अप्राप्तवय के निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के दावे का विनिश्चय आयुक्त द्वारा किया जाएगा ;

परन्तु यह और भी कि ऐसे किसी दावेदार को कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति के दावे के विरुद्ध आयुक्त की क्षतिपूर्ति के लिए उसके बन्धपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

(ख) उप पैरा (5) के खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में पाने वाले के बचत बैंक खाता में निक्षेप द्वारा ।"

[सं० 8(6)/80-सी एम डब्ल्यू (पी एफ) (i)]

(Department of Coal)

New Delhi, the 16th August, 1980

G.S.R. 907.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notificaion of Government of India in the Ministry of Labour No. PF/15(5)/48, dated the 11th December, 1948 namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, in paragraph 66,—

(a) for sub-paragraph (3), the following shall be substituted, namely :—

"If the person to whom any amount is to be paid under this Scheme is a minor for whose estate a guardian under Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) has been appointed, the payment shall be made to such a guardian. Where no such guardian has been appointed, the payment shall be made to the guardian appointed under sub-paragraph (4A) of paragraph 62, if any. Where no guardian has been appointed either under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) or under sub-paragraph (4A) of paragraph 62 of the Scheme, the payment shall be made to the natural guardian and in the absence of a natural guardian to such person as considered to be the proper person representing the minor by the Assistant Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 5,000, by the Regional Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 15,000, by the Joint Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 20,000, and by the Commissioner where the amount exceeds Rs. 20,000.

Provided that in the event of there being more than one claimant as a guardian of a minor, the claim of the person entitled to receive such payment on behalf of the minor shall be decided by the Commissioner ;

Provided further that no payment shall be made to such claimant without obtaining from him a bond for idemnfiving the Commissioner against the claim of any other person entitled to receive such payment under a decree or order of any Court".

(b) in sub-paragraph (5), after clause, (ii) the followiing clause shall be inserted, namely : —

"(ii) By deposit in the payee's Savings Bank Account at any branch of a nationalised Bank".

[No. 8(6)/80-CMW(PF)(i)]

सा० का० नि० 908.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं०का०नि०आ० 657 तारीख 12 मार्च, 1956 के साथ प्रकाशित आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1956 के पैरा 44 में,—

(क) उप पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"यदि वह व्यक्ति जिसे इस स्कीम के अधीन किसी रकम का संदाय किया जाना है, ऐसा अप्राप्तवय है जिसकी संपदा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो संदाय ऐसे संरक्षक को किया जाएगा । यदि ऐसा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है तो संदाय

पैरा 40 के उप पैरा (4क) के अधीन नियुक्त किए गए संरक्षक को, यदि कोई है, किया जाएगा। जहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) या इस स्कीम के पैरा 40 के उप पैरा (4क) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया वहां संदाय नैसर्गिक संरक्षक को किया जाएगा और नैसर्गिक संरक्षक के अभाव में ऐसे व्यक्ति को जो अप्राप्तवय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित व्यक्ति माना जाए, सहायक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 5000 रु० की रकम तक, प्रादेशिक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 15000 रु० की रकम तक, संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 20000 रु० की रकम तक और जहां रकम 20,000 रु० से अधिक है, आयुक्त द्वारा संदाय किया जाएगा :

परन्तु किसी अप्राप्तवय के संरक्षक के रूप में एक से अधिक दावेदार होने की दशा में, अप्राप्तवय के निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के दावे का विनिश्चय आयुक्त द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे किसी दावेदार को कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति के दावे के विरुद्ध आयुक्त की क्षतिपूर्ति के लिए उससे बन्धपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।"

(ख) उप पैरा (5) के खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iii) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में पाने वाले के बचत बैंक खाता में निक्षेप द्वारा"।

[सं० 8(6)/80-सी एम डब्ल्यू (पी एफ (ii)]

G.S.R. 908.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (48 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S.R.O. 657, dated the 12th March, 1956, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, 1956, in paragraph 44,—

(a) for sub-paragraph (3), the following shall be substituted, namely :—

"If the person to whom any amount is to be paid under this Scheme is a minor for whose estate a guardian under Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), has been appointed, the payment shall be made to such a guardian. Where no such guardian has been appointed, the payment shall be made to the guardian appointed under sub-paragraph (4A) of paragraph 40, if any. Where no guardian has been appointed either under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), or under sub-paragraph (4A) of paragraph 40 of the Scheme, the payment shall be made to the natural guardian and in absence of a natural guardian to such person as considered to be the proper person representing the minor by the Assistant Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 5,000, by the Regional Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 15,000, by the Joint Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 20,000, and by the Commissioner where the amount exceeds Rs. 20,000.

Provided that in the event of there being more than one claimant as a guardian of a minor, the claim of the person entitled to receive such payment on behalf of the minor shall be decided by the Commissioner ;

Provided further that no payment shall be made to such claimant without obtaining from him a bond for indemnifying the Commissioner against the claim of any other person entitled to receive such payment under a decree or order of any Court."

(b) In sub-paragraph (5), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii) By deposit in the payee's Savings Bank Account at any branch of a Nationalised Bank."

[No. 8(6)/80-CMW(PF)(ii)]

सा० का० नि० 909—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 32, तारीख 11 फरवरी, 1958 के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1958 के पैरा 43 में, —

(क) उप पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यदि वह व्यक्ति जिसे इस स्कीम के अधीन किसी रकम का संदाय किया जाना है, ऐसा अप्राप्तवय है जिसकी संपदा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) के अधीन संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो संदाय ऐसे संरक्षक को किया जाएगा। यदि ऐसा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है तो संदाय पैरा 39 के उप पैरा (4क) के अधीन नियुक्त किए गए संरक्षक को, यदि कोई है, किया जाएगा। जहां संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) या इस स्कीम के पैरा 39 के उप पैरा (4क) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया वहां संदाय नैसर्गिक संरक्षक को किया जाएगा और नैसर्गिक संरक्षक के अभाव में ऐसे व्यक्ति को जो अप्राप्तवय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित व्यक्ति माना जाए, सहायक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 5,000 रु० की रकम तक, प्रादेशिक आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 15,000 रु० की रकम तक, संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 20,000 रु० की रकम तक, और जहां रकम 20,000 रु० से अधिक है, आयुक्त द्वारा संदाय किया जाएगा :

परन्तु किसी अप्राप्तवय के संरक्षक के रूप में एक से अधिक दावेदार होने की दशा में, अप्राप्तवय के निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के दावे का विनिश्चय आयुक्त द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे किसी दावेदार को कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति के दावे के विरुद्ध आयुक्त की क्षतिपूर्ति के लिए उससे बन्धपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।"

(ख) उप पैरा (5) के खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iii) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में पाने वाले के बचत बैंक खाता में निक्षेप द्वारा"।

[सं० 8(6)/80-सी० एम० डब्ल्यू० (पी एफ) (iii)]

ए० स० देशपाण्डे, उप सचिव

G.S.R. 909.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S. O. 32, dated the 11th February, 1958, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, 1958, in paragraph 43,—

(a) for sub-paragraph (3), the following shall be substituted, namely :—

"If the person to whom any amount is to be paid under this Scheme is a minor for whose estate a guardian under Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) has been appointed, the payment shall be made to such a guardian. Where no such guardian has been appointed, the payment shall be made to the guardian appointed under sub-paragraph (4A) of paragraph 39, if any. Where no guardian has been appointed either under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) or under sub-paragraph (4A) of paragraph 39 of the Scheme, the payment shall be made to the natural guardian and in absence of a natural guardian to such person as considered to be the proper representing the minor by the Assistant Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 5,000, by the Regional Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 15,000 by the Joint Commissioner to the extent of amount not exceeding Rs. 20,000, and by the Commissioner where the amount exceed Rs. 20,000.

Provided that in the event of there being more than one claimant as a guardian of a minor, the claim of the person entitled to receive such payment on behalf of the minor shall be decided by the Commissioner :

Provided further that no payment shall be made to such claimant without obtaining from him a bond for indemnifying the Commissioner against the claim of any other person entitled to receive such payment under a decree or order of any Court."

(b) in sub-paragraph (5), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iii) By deposit in the payee's Savings Bank Account at any branch of a Nationalised Bank."

[No. 8(6)/80-CMW (PF)(iii)]
A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 910.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (बम्बई) नियमावली, 1963 के नियम-1 के उपनियम (3) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमों को निम्नलिखित क्षेत्रों में पहली अगस्त, 1980 से लागू करती है, अर्थात् :--

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 19, मुलुन्द

पूर्व में--पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे

पश्चिम में—भन्डुप, मुलन्द--थाने हिल्स

दक्षिण में--भन्डुप औषधालय की उत्तरी सीमा रेखा अर्थात् मुलन्द, गोरे गांव रोड भन्डुप हिल से पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे तक

उत्तर में—थाने जिले की सीमा से लगती हुई बृहत बम्बई निगम की उत्तरी नगरीय सीमाएं।

[सं० एस० 11012/7/80-के०स०स्वा०यो० (निति)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 31st July, 1980

G.S.R. 910.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Bombay) Rules, 1963, the Central Government hereby extends the said rules with effect from 1st of August, 1980 to the following areas, namely :—

CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DISPENSARY NO. 19, MULUND

East—Eastern Express Highway.

West—Bhandup, Kulund—Thane Hills.

South—North Boundary line of Bhandup dispensary i.e. Mulund, Goregaon Road from Bhandup Hill to Eastern Express Highway

North—North boundaries of Municipal limits of Greater Bombay Corporation, touching Thane District.

[No. S. 11012/7/30-CGHS(P)]

सा० का० नि० 911.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (लखनऊ) नियमावली, 1979 के नियम-1 के उपनियम (3) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमों को निम्नलिखित क्षेत्रों में पहली अगस्त, 1980 से लागू करती है, अर्थात् :--

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 3, लखनऊ

उत्तर में यह क्षेत्र सुभाष मार्ग और उत्तर पूर्वी रेलवे के संगम (सीतापुर लाइन) से आरम्भ होता है। यह क्षेत्र नादान महल रोड से लेकर तुलसी दास मार्ग के संगम तक फिर तुलसीदास मार्ग से लेकर दीन दयाल रोड के संगम तक और दीनदयाल रोड के साथ साथ मन्सूर नगर रोड के संगम तक और इसके बाद वहां तक जहां इसका संगम सावातगंज रोड से होता है। सावातगंज रोड के साथ साथ आगे चलें और फिर महाराज गंज रोड के साथ साथ वहां तक चलें जहां तक यह रेलवे क्रासिंग (उत्तरी रेलवे) से मिलती है।

पश्चिम में नगर महापालिका सीमा रेखा से लेकर नहर के संगम तक का क्षेत्र।

दक्षिण में नहर से लेकर मेरिट रोड के संगम तक का क्षेत्र।

पूर्व में मेरिट रोड से लेकर वहां तक का क्षेत्र जहां यह रोड जय प्रकाश नारायण रोड से मिलने वाली रोड से मिलती है और फिर आलमबाग क्रासिंग तक, वहां से कानपुर रोड के साथ साथ चारबाग रेलवे स्टेशन तक। वहां से सुभाष मार्ग के साथ-साथ वह क्षेत्र जहां इसका संगम रेलवे क्रासिंग (सीतापुर लाइन) के साथ होता है।

पूर्व में कानपुर रोड के पूर्वी तरफ पड़ने वाले निम्नलिखित क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत आते हैं, अर्थात् आनन्द नगर, आदर्श नगर, सुजान पुर, अर्जुन नगर, चन्दन नगर तथा जय प्रकाश नारायण मार्ग तक पूरा आलम बाग।

इसके अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं :--

पांडेय गंज, चिरहाना, बुलावन, राजेन्द्र नगर, रानीगंज, नाका, पंजारोबा, आर्य नगर, नेहरू नगर, तिलक नगर, कुम्हरी, शंकर दयाल रोड, खजुआ, हटकी मोहल्ला, बिल्लोच पुरा, हैदरगंज, ऐशबाग, मास्टर कन्हैयालाल रोड और ऐशबाग के पास वाले इलाके, सावात गंज का भाग, तिकैत राय तालाब, लालकटोरा, बुलाकी अड्डा, तुरियागंज, नौबस्ता, आलम नगर, धनियामारी पुल शाहगंज, कजमेन रोड तथा खाला बाजार।

नोट इस समय पंडारिया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 2 (लाल बाग) की सीमा में है, जब तीसरा औषधालय खुल जाएगा तब पंडारिया इस तीसरे औषधालय के अन्तर्गत आ जाएगा।

[सं एस-11012/10/80-के०स०स्वा०यों० (निति)]

G.S.R. 911.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Lucknow) Rules, 1979 the Central Government hereby extends the said rules, with effect from 1st August, 1980 to the following areas namely :—

CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DISPENSARY NO. 3, LUCKNOW

On the North, the area starts from the Junction of Subhash Marg and the North Eastern Railways (Sitapur Line). It proceeds along the Nadan Mahel Road upto its meeting with the Tulsidas Marg then proceed along Tulsidas Marg upto its meeting with Dindayal Road and along Din Dayal Road, upto its meeting with Mansur Nagar Road and thereafter till it meets Saadatganj Road. Proceed along Saadatganj Road and then continue along Maharajganj Road till it meets Railway Crossing (N.R.).

On the West, the area is bounded by the Nagar Mahapalika boundary line till it meets the Canal.

On the South, the area is bounded by the Canal till it meets Merrit Road.

On the East, it is bounded by Merrit Road till it meets the road connecting Jai Prakash Narayan Road and then Alambagh Crossing from there, along the Kanpur Road, upto the Charbagh Railway Station. From there along the Subbash Marg to its meeting with Railway Crossing (Sitapur Line).

On the East, the area will also cover the following areas on the Eastern side of Kanpur Road namely Anand Nagar, Adarsh Nagar, Sujan Pura, Arjun Nagar, Chanden Nagar and entire Alambagh upto Jai Parkash Narayan Road.

The main area covered are as given below :—

Pandey Ganj, Birhana, Dugawan, Rajinder Nagar, Raniganj, Naka, Pandariba, Aryanagar, Nehru Nagar, Tilak Nagar, Kundari, Shanker Dayal Road, Khajua, Itki-Mohalla, Billauch Pura, Hyderganj, Aishbagh, Master Kanhailal Road and adjoining areas of Aishbagh, part of Saadat Ganj, Tikait Rai Talab, Talkatora, Bulaki Adda, Tooriaganj, Naubasta, Alamnagar, Dhaniamari Bridge Shahganj, Kazmain Road and Bazar Khala.

Note:—At present Pandariba is under the jurisdiction of C.G.H.S. dispensary No. 2 (Lal Bagh), when the 3rd dispensary will come in action then Pandariba will come under this 3rd dispensary.

[No. S. 11012/10/80-CGHS(P)]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 912.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन में दन्त चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन में दन्त चिकित्सक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1980 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता :—कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
दन्त चिकित्सक	1	केन्द्रीय सामान्य सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो-40-1200 रुपये तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) नोट : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से उनसे भिन्न जो अंडमान	अनिवार्य : 1. दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग 1 या 2 में शामिल कोई अर्हता। 2. किसी दन्त चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो। 3. किसी अस्पताल में दन्त चिकित्सक

		4	5	6	7
		मंजूर किया गया गैर प्रेक्टिस भत्ता ।		और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी) ।	के पद पर कार्य करने का या प्राइवेट प्रेक्टिस का तीन वर्ष का अनुभव । नोट 1 :—सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय है। नोट 2 :—अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । वांछनीय : (1) दन्त चिकित्सा में स्नातकोत्तर अर्हता । (2) स्थानीय भाषा का ज्ञान ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होगा	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों या संघ शासित प्रशासनों के अधीन कार्य कर रहे विभागों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। (प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)। 1. समाहर्ता एवं विकास आयुक्त—अध्यक्ष। 2. उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक—सदस्य। 3. दन्त चिकित्सा विंग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के प्रोफेसर तथा विभाग अध्यक्ष—सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से किया जाएगा। नोट : पुष्टि संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवृत्त संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजा जायेगा । यदि संघ लोक सेवा आयोग इसका अनुमोदन नहीं करता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नए सिरे से बुलाई जायेगी ।

[सं० ए०-12018/3/79-एच०]

सत्यपाल गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 1980

G.S.R. 912.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dental Surgeon in the Union Territory of Lakshadweep Administration, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Territory of Lakshadweep Administration Dental Surgeon (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.,—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No prson,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Dental Surgeon	1	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 plus non-practising allowance as sanctioned by the Government of India from time to time.	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) A qualification included in part I or part II of the Dentist Act, 1948 (16 of 1948) (ii) Should be registered with a Dental Council. (iii) Three years experience of dental work in a hospital or in private practice. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) A post graduate qualification in Dentistry. (ii) Knowledge of local language.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in Which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : Of Dental Surgeons working in Central Government/ State Governments or Union Territory Administrations. (Period of deputation shall not exceed 3 years)	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Collector-cum-Development Commissioner— Chairman (2) Deputy Director of Health Services —Member (3) Professor and Head of Dental Wing, Medical College, Trivandrum—Member.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. A 12018/3/79-H]

S. P. GOSWAMI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1980

सा०का०नि० 913—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य और कृषि मंत्रालय (तकनीकी अराजपत्रित समूह ख और समूह ग पद भर्ती) नियम 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य और कृषि मंत्रालय (तकनीकी अराजपत्रित समूह "ख" तथा "ग" पद भर्ती) द्वितीय संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य और कृषि मंत्रालय (तकनीकी अराजपत्रित समूह ख और वर्ग समूह ग पद भर्ती) नियम 1959 की अनुसूची में

(क) समूह "ख" अराजपत्रित पद शीर्ष के नीचे—

(1) मद संख्या 8, 16, 19, 26 और 30 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) अनुसंधान अन्वेषक (श्रेणी 1) (कृषि गणना) के पद से संबंधित मद सं० 30 के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
"31. अनुसंधान अन्वेषक (सांख्यिकी और अर्थशास्त्र)	19	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय।	550-25-750-द०रो०-30-900 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण।	**प्रोन्नति** विभागीय अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी और अर्थ) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की है और जो कम से कम अर्थशास्त्र/वाणिज्य/कृषि अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/संचालन/अनुसंधान/गणित में से किसी एक विषय में उपाधि प्राप्त हैं। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण. केन्द्रीय सरकार के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 425-800 रु० 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है और जो कम से कम अर्थशास्त्र/वाणिज्य/कृषि अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/संचालन अनुसंधान/गणित में से किसी एक विषय में उपाधि प्राप्त हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष। 2 संबंधित प्रभाग के संयुक्त/उपसचिव—सदस्य 3 उपसचिव (प्रशासन) —सदस्य।	किसी अधिकारी की स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय आयोग से परामर्श किया जायगा।"

(ख) 'समूह ग अराजपत्रित पद" के शीर्ष के नीचे—

(1) मद संख्या 12, 15, 33, 24, 26, 30, 45, 48 और 63 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(2) तकनीकी सहायक (लघु सिंचाई पद से संबंधित मद संख्या 13 के सामने स्तम्भ 7 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात :—

"आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट में डिप्लोमा या समतुल्य।

(2) जल उत्थापक उपकरणों का ज्ञान और सिंचाई संरचना की स्वच्छ ड्राइंग और स्केच तैयार कर सकने की योग्यता।

वांछनीय डिजाइन अनुमान का तैयार करने और परीक्षण और सिंचाई सकर्मों के अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव।"

(3) मद संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"31. ज्येष्ठ संगणक	7	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय।	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	अचयन	19 से 26 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी एक विषय के रूप में उपाधि।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : सगणक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : कृषि और सहकारिता विभाग के सलग्न और अधीनस्थ कार्यालय में सगणक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ग' में निम्नलिखित होंगे :— 1 प्रशासन के भारसाधक उपसचिव—अध्यक्ष। 2. विषय सबंधी प्रभाग के उपायुक्त स्तर के अधिकारी परन्तु उपसचिव स्तर से ऊपर नहीं होंगे—सदस्य। 3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अवर सचिव स्तर के अधिकारी परन्तु उपसचिव के स्तर से उपर नहीं होंगे—सदस्य। 4. प्रशासन अनुभाग के भारसाधक अवर सचिव —सदस्य।	लागू नहीं होता

(4) मद संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
36 संगणक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय।	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु० + 20 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन।	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।	1. मैट्रिक या समतुल्य 2. की पंच परीक्षा पास हो—(आई०सी०एल०) हस्तचालित पंचिग मशीन पर 30 मिनट में 42 कार्ड और आई०बी०एम० विद्युत मशीन पर 30 मिनट में 84 कार्ड।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

5. तकनीकी सहायक (उर्वरक) पद से संबधित मद संख्या 63 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"64. अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी और अर्थ)	22	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय।	125-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	अचयन	20-26 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित के विषय में उपाधि या समतुल्य।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं अर्हताएं : हां	2 वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : कृषि विभाग में ज्येष्ठ संगणक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : सदृश पदों के धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने कृषि विभाग और उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय में 330-560 रु०	विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'ग' में निम्नलिखित होंगे :— 1. प्रशासन प्रभाग के भारसाधक उपसचिव—अध्यक्ष 2. विषय संबंधी प्रभाग के उपायुक्त स्तर के अधिकारी परन्तु उपसचिव के स्तर से ऊपर के नहीं होंगे—सदस्य।	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
			के वेतनमान में नियमित 5 वर्ष सेवा की है और जो स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए अधिकथित अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अवर सचिव स्तर के अधिकारी परन्तु उप सचिव के स्तर से ऊपर के नहीं होंगे—सदस्य। 4. प्रशासन अनुभाग के भारसाधक अवर सचिव —सदस्य।	

[सं० 12018/1/77-स्था०-4]

रघुराजशरण सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 5th July, 1980

G.S.R. 913.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Food and Agriculture (Recruitment to Technical Non-gazetted Group 'B' and 'C' Posts) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Food and Agriculture (Recruitment to Technical Non-gazetted Group 'B' and 'C' Posts) (Second A amendment) Rules 1980.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Food and Agriculture (Recruitment to Technical Non-gazetted Group 'B' and 'C' Posts) Rules, 1959, in the Schedule,

(a) under the Heading "Group B Non-gazetted Posts"

(1) Item Nos. 8, 16, 19, 20 & 30 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(2) After item number 30 relating to the post of Research Investigator (Grade I) (Agriculture Census), the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"31. Research Investigator (Statistics and Economics)	19	General Central Services, Group 'B', Non-gazetted, Non-ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation ; 50% by transfer on deputation/transfer.	Promotion : Departmental Research Assistants (Statistics and Economics) with 5 years' regular service in the grade and possessing at least a degree with one of the subjects : Economics/Commerce/Agricultural Economics/Statistics/Operations/Research/Mathematics. Transfer on deputation/transfer : Officers of the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years' service in posts in the posts in the scale of	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Joint Secretary (Administration) —Chairman (ii) Joint/Deputy Secretary of the Division concerned —Member (iii) Deputy Secretary (Administration) —Member.	The Commission shall be consulted while appointing an officer on transfer basis and also while amendings/relaxing any provision of these rules".

8	9	10	11	12	13
			pay of Rs. 425-800/Rs. 425-700 or equivalent and possessing at least a degree with one of the subjects : Economics/Commerce/Agricultural Economics/Statistics/Operations/Research/Mathematics). (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).		

(b) under the heading "Group C Non-gazetted posts",—

(1) Item Nos. 12, 15, 23, 24, 26, 30, 45, 48, 63 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(2) Against Item No. 13 relating to the post of Technical Assistant (Minor Irrigation) in column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Essential :

(i) Diploma in Civil Engineering or Architecture from a recognised University, or equivalent ;

(ii) Acquaintance with water lifting appliances and ability to draw drawings and sketches of irrigation structures neatly.

Desirable :

3 years' experience of preparation and examination of designs, estimates and maintenance of irrigation works." ;

(3) For Item No. 31 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"31. Senior Computor	7	General Central Services, Group 'C', Non-gazetted, Non-ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Non Selection	19 to 26 years (Relaxable for Government Servants)	Degree with Mathematics or Statistics as a subject, from any recognised University.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and, failing both by direct recruitment ; 50% by direct recruitment.	Promotion : Computers with 5 years' Service in the grade ; Transfer on deputation : Computors in the attached and subordinate offices of the Department of Agriculture and Co-operation having 5 years' regular service in the grade (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : (i) Deputy Secretary in-charge of Administration Division concerned—Chairman (ii) An officer of the rank of Deputy Commissioner or above, but not above the rank of Deputy Secretary of the subject matter Division—Member (iii) An officer of the rank of or above Under Secretary, but not of rank above the Deputy Secretary, belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes—Member (iv) Under Secretary in-charge of Administration Section concerned—Member	Not applicable".

(4) for Item No. : 36 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"36. Computor	6	General Central Services, Group 'C', Non-gazetted, non-ministerial	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400/-+Rs. 20/- per month special pay	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years)	(1) Matriculation or equivalent. (2) Should have passed a Key-punching test (In the ICI Hand-punching machine 42 cards in 30 minutes ; in the IBM Electric Machine 84 cards in 30 minutes)

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable";

(5) after item number 63 relating to the post of Technical Assistant (Fertilizer), the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"64. Research Assistant (Statistics and Economics)	22	General Central Services, Group 'C', Non-gazetted, Non-ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-selection	20-26 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years)	Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Qualifications : Yes	2 years	25% by promotion, failing which by transfer on deputation, and failing both by direct recruitment 75% by direct recruitment.	Promotion : Senior Computors in the Department of Agriculture with at least 5 years' regular service in the grade ; Transfer on deputation : Officials holding analogous posts, or with at least 5 years' regular service in posts carrying scale of pay of Rs. 330-560/- from the Department of Agriculture and its Attached and Subordinate offices and possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits, in column 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of:— (i) Deputy Secretary in-charge of Administration Division concerned— Chairman (ii) An officer of the rank of Deputy Commissioner or above, but not of rank above deputy Secretary, to the Subject matter Division.—Member (iii) An officer of the rank of or above Under Secretary, but not of rank above the Deputy Secretary, belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes— Member (iv) Under Secretary in charge of Administration Section concerned.—Member	Not applicable";

[No. 12018/1/77-Estt. IV

R. S. SAKSENA, Deputy Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 914 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यपालक इंजीनियर (सिंचाई के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (कार्यपालक इंजीनियर सिंचाई) भर्ती नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
कार्यपालक इंजीनियर (सिंचाई)	2	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (2) सिंचाई संकर्मों में पर्यवेक्षीय हैसियत से 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो जिसमें भूमिगत जल योजनाएं सम्मिलित हैं। टिप्पण :—(1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण :—(2) अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों

1	2	3	4	5	6	7
						अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। वांछनीय आयोजना तथा लघु स्तर जल परियोजनाओं तथा भूमिगत जल संरचना से संबंधित भूजल विज्ञानी का अनुभव तथा ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं नहीं	2 वर्ष	(1) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 50 प्रतिशत (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (1) केन्द्रीय सरकार (राज्य सरकारों के अधिकारी क(1) सदृश पदों के धारक अधिकारीगण (ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य या श्रेणी के पदों के धारक अधिकारी या समतुल्य (iii) स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव (2) विभागीय सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिंचाई जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित 5 वर्ष सेवा की हो के मामले पर भी विचार किया जाएगा यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो वे पद भिन्न प्रोन्नति से भरा समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टीकरण पर विचार के लिए 1 अध्यक्ष केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड--अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) --सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर (एम० आई०)--सदस्य टिप्पण :--विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्रवाई आयोग के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी यदि उनका अनुमोदन नहीं होता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक फिर से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में होगी।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित / शिथिल करते समय भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं० 7-65/75--एम० आई० (ए)]
के० एम० कक्कड़, उप सचिव

New Delhi, the 16th August, 1980

G.S.R. 914.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Engineer (Irrigation) in the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Executive Engineer (Irrigation)) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Executive Engineer (Irrigation)	2	General Central Services Group 'A' Gazetted	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential: (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience in a supervisory capacity of irrigation works including ground water schemes. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the re-

7
quisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Experience and knowledge of Hydrology as related to planning and design of small surface water project and ground water structures.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: No Educational Qualification : Yes	2 years	(i) By promotion/transfer on deputation 50%. (ii) By transfer on deputation failing which by direct recruitment –50%.	Promotion/transfer on deputation: (1) Officers under the Central Government/State Governments— (a) (i) holding analogous posts or (ii) with 5 years' service in posts in the rank of Assistant Executive Engineer or equivalent, or (iii) with 8 years' service in posts in the rank of Assistant Engineer or equivalent, and (b) possessing the educational qualifications and experience of the type laid down for direct recruitment in column 7. (2) The Departmental Assistant Executive Engineer (Irrigation) with 5 years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by direct recruitment. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Joint Secretary (Administration) —Member 3. Superintending Engineer (Minor Irrigation)—Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman, or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with the Union Public Service Commission also necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[F. No. 7-65/75-MI(A)]
K.M. CHADHA, Deputy Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 915.—इस विभाग के दिनांक 16 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 1073/77 मशी० (एस) में आंशिक संशोधन करते हुए उसकी अनुसूची में ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, बुदनी में स्टोर कीपर पद में संबंधित स्तंभ 4 में दिये गये वेतनमान 425-15-560-द०रो०-20-700 रु० के स्थान पर 455-15-560-द०रो०-20-700 रु० पढ़ा जाए।

[सं० 10-13/77 मशी० (एस)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th August, 1980

G.S.R. 915.—In partial modification of this Department Notification No. 10-13/77-My,S) dated the 16th May, 1980 the pay scale of the post of store-keeper at Tractor Training & Testing Station. Budni indicated under column 4 of the schedule attached thereto may be read as "Rs. 455-15-560-EB-20-700 instead of Rs. 425-15-560-EB-20-700."

[F. No. 10-13/77-My. (S)]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 916:—इस विभाग के दिनांक 16 मई, 9 80 की अधिसूचना संख्या 1073/77 मशी० (एस) में आंशिक संशोधन करते हुए उसकी अनुसूची में ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं परीक्षण केन्द्र, बुदनी में स्टोर कीपर पद से संबंधित स्तंभ में दिये गये वेतनमान "425-15-560-द०रो०-20-700 रु०" के स्थान पर "455-15-560-द०रो०-20-700 रु०" पढ़ा जाए ।

[सं० 10-13/77 मशी० (एस)]
एच० एल० बिर्दी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th August, 1980

G.S.R. 916.—In partial modification of this Department Notification No. 10-13/77-My (S) dated the 16th May, 1980 the pay scale of the post of store-keeper at Tractor Training & Testing Station, Budni indicated under column 4 of the schedule attached thereto may be read as "Rs. 455-15-560-EB-20-700" instead of "Rs. 425-15-560-EB-20-700."

[F. No. 10-13/77-My.(S)]
H. L. BIRDI, Under Secy.

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 917.–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में उप-निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम) की भर्ती विधि को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—1. इन नियमों को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (उप-निदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम) भर्ती नियम, 1980 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उपर्युक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती विधि, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उपर्युक्त पद की भर्ती विधि, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम-5-13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हताएं.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का करार कर लिया है जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, या

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य स्त्री/पुरुष से विवाह अथवा विवाह का करार कर लिया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति.—यदि केन्द्रीय सरकार की राय में इन नियमों में छूट देना आवश्यक अथवा समीचीन हो तो वह आदेश जारी करके तथा लिखित कारण देकर और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से किसी भी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों में छूट दे सकती है ।

6. अपवाद.—इस नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों तथा रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ मिलेगा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
उप-निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "क" राजपत्रित	रु० 1200-50-1600	प्रवरण	45 वर्ष से ऊपर नहीं (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है)		अनिवार्य : (i) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
					टिप्पणी :—प्रत्येक मामले में आयु-सीमा का निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को छोड़कर) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।		कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अथवा उसके समकक्ष डिग्री । अथवा डिग्री स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अथवा उसके समकक्ष डिग्री । अथवा डिग्री स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी साहित्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अथवा उसके समकक्ष डिग्री । (ii) अध्यापन/अनुवाद/कोश-विज्ञान/शब्दावली का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें तीन वर्ष का किसी विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान में पर्यवेक्षी हैसियत में, तरजीहन पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रशासन का अनुभव होना चाहिए । (iii) विशेषतः विभिन्न पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने की आधुनिक तकनीकों/विधियों का ज्ञान । या हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री तैयार करने का अनुभव । टिप्पणी :—1. अन्यथा बेहतर योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । टिप्पणी :—2. यदि चयन की किसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

1	2	3	4	5	6	7
						अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इतनी नहीं होगी जिससे उनके लिए आरक्षित पदों को भरा जा सके तो वह उनके बारे में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दे सकता है । वांछनीय : (1) संदर्भ-सामग्री के निर्माण, संकलन तथा अन्तिम रूप प्रदान करने सम्बन्धी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन अथवा विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के संचालन का अनुभव । (2) हिन्दी को छोड़कर किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी विदेशी भाषा का ज्ञान ।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के बारे में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि हो	भर्ती विधि सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा/यदि पदोन्नति द्वारा संभव न हो तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पकालिक संविदा समेत) और यदि दोनों स्थितियों में संभव न हो तो सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति सहायक निदेशक (भाषा, भाषा विज्ञान तथा मानविकी) साथ में इसी ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक संविदा समेत) : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के वे अधिकारी जो समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं अथवा रु० 700-1300 के वेतनमान में अथवा इसके समकक्ष पदों पर पांच वर्ष से सेवा कर रहे हैं तथा कालम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	वर्ग "क" वि०प०स० : 1 अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो०से०आ० : अध्यक्ष 2. सचिव, शि० एवं संस्कृति मंत्रालय—सदस्य 3 संयुक्त सचिव (प्रशा०) शिक्षा विभाग—सदस्य 4 अध्यक्ष, वै०त०श०आ० —सदस्य 5. निदेशक (भाषा) उप-सचिव, शिक्षा मंत्रालय—सदस्य वर्ग "क" विभागीय पदोन्नति समिति (सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने हेतु) 1 सचिव, शि० एवं संस्कृति मंत्रालय—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) शिक्षा विभाग —सदस्य	चयन करते समय और इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

8	9	10	11	12	13
				3. अध्यक्ष, के०सं०आ० मा०—सदस्य 4. निदेशक (भाषा) —सदस्य टिप्पणी :— पुष्टि संबन्धी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिये संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी यदि संघ लोक सेवा आयोग उसे अनुमोदित नहीं करता तो विभागीय पदोन्नति समिति की नई बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता सं० लो० से० आयोग के अध्यक्ष या उसके कोई सदस्य करेंगे ।	

[नं० एफ० 5-34/79-डी० II(एल)]
कुलदीप कृष्ण खुल्लर, उप सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

New Delhi, the 12th August, 1980

G.S.R. 917.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Correspondence Courses) in the Central Hindi Directorate, in the Ministry of Education and Culture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Hindi Directorate (Deputy Director Correspondence Courses) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to said post, age limit, educational qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(7)
Deputy Director (Correspondence Courses)	1	General Central	Rs. 1200-50-1600	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for	—	Essential: (i) At least a second class Master's degree of a

1	2	3	4	5	6	7
		Service Group 'A' Gazetted			Government Servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level. or At least a Second Class Master's degree of a recognised University or equivalent in Sanskrit with Hindi and English as subjects at the degree level. or At least a Second Class Master's degree of a recognised University or equivalent in Linguistics with Hindi literature as an optional subject at degree level. (ii) 5 years' experience of teaching/translation/lexicography/terminology, out of which three years' experience should be of administration in a supervisory capacity preferably of correspondance courses, in a University or a recognised Institute. (iii) Knowledge of modern techniques/methods of preparing teaching material, preferably for various correspondance courses. or experience of preparing reference material for students studying through Hindi medium. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
					Desirable. (i) Experience of organising seminars, workshops, etc. or conducting meeetings of various expert Committees connected with preparation, compilation and finalization of reference material. (ii) Knowledge of a modern Indian language other than Hindi or a foreign language other than English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment	Promotion: Assistant Directors (Languages, Linguistics and Humanities) with 7 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract): Officers of the Central/State Government/Universities and other educational institutions holding analogous Posts or with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700–1300 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' DPC (1) Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman (2) Secretary Ministry of Education and Culture—Member (3) Joint Secretary (Admn) D/O-Education—Member. (4) Chairman, CSTT—Member (5) Director (Languages)/Deputy Secretary Ministry of Education—Member. Group 'A' DPC (for considering confirmation of the Direct recruit). 1. Secretary, M/Education and Culture—Chairman 2. Joint Secretary (Admn.) Department of Education—Member. 3. Chairman, CSTT—Member 4. Director (Languages) Deputy Secretary M/Education & Culture—Member. Note: The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission	The Union Public Service Commission shall be consulted in making selection and while amending/relaxing any provision of these rules.

8	9	10	11	12	13
					for approval, if, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Commission shall be held.

[No. F. 5-34/79-D. II(L)]

K. K. KHULLAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

सा०का०नि० 918.—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन जहाज-चालन (शुल्क) आदेश, 1975 में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कांडला पत्तन जहाज-चालन (शुल्क) द्वितीय संशोधन आदेश, 1980 है ।

(2) यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. कांडला पत्तन जहाज-चालन (शुल्क) आदेश, 1975 में खंड 6 में, उप-खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाए :—

"6 अगर जहाज के लिए टग सेवाओं का इस्तेमाल शिफ्टिंग, बर्थिंग और अनबर्थिंग को छोड़ अन्य कार्यों के लिए किया जाता है तो फी घंटे के लिए या घंटे से कम अवधि के लिए शुल्क निम्नप्रकार वसूल किया जाएगा :—

वर्गीकरण	तटीय रुपये	विदेशी रुपये
(1) 20,000 जी आर टी तक के जहाज	1085	1665
(2) 20,001 से 40,000 जी आर टी तक के जहाज	2110	3376
(3) 40,001 से 60,000 जी आर टी तक के जहाज	3165	5064
(4) 60,001 से 80,000 जी आर टी तक के जहाज	4220	6752
(5) 80,001 से 1,00,000 जी आर टी तक के जहाज	5275	8440
(6) 1,00,001 या इससे अधिक जी आर टी के जहाज	6330	10128

स्पष्टीकरण :—उपखंड (6) के प्रयोजनार्थ, टग सेवा में लगे समय की गणना टग द्वारा अपना लंगर छोड़ने के समय से लेकर टग के अपने लंगर पर वापस आने के समय तक की जाएगी ।

[एफ० संख्या-पी डब्ल्यू/पी जी आर/48/80]

New Delhi, the 12th August, 1980

G.S.R. 918.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 35 of the India ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby amends the Kandla port Pilogate (Fees) Order, 1975 as follows, namely :—

1. (1) This order may be called the Kandla port pilotage (Fees) seocnd Amendment order, 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Kandla port pilotage (Fees) Order, 1975 in clause 6, for sub-clause (6), the following shall be substituted, namely:—

"(6) If tug services to a vessel are rendered for purpose oter than shifting, berthing, unberthing, fees per hour or part there of shall be levied as under :—

Classification	Coastal Rs.	Foreign Rs
(i) Vessels upto 20,000 GRT	1,085	1,665
(ii) Vessels of 20,001 to 40,000 GRT	2,110	3,376
(iii) Vessels of 40,001 to 60,000GRT	3,165	5,064
(iv) Vessels of 60,001 to 80,000 GRT	4,220	6,752
(v) Vessels of 80,001 to 1,00,000 GRT	5,275	8,440
(vi) Vessels of 1,00,001 GRT and above	6,330	10,128

Explanations :——For the purpose of sub-clause (6) the time taken for tug services will be counted from the time tug leaves her mooring to the time tug returns to her mooring,"

[F.No.PW/PGR/48/80]

नई दिल्ली, 18 अगस्त 1980

सा०का०नि० 919.—नव मंगलूर पत्तन नियम, 1976 में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का प्रारूप, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 166 दिनांक 14 अप्रैल 1980 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 25 अप्रैल 1980 के पृष्ठ 883-884 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 मई, 1980 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और, उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम नव मंगलूर पत्तन (संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नव मंगलूर पत्तन नियम, 1976 से नियम 43 हटा दिया जाए ।

[संख्या पी जी एल-12/74-II]

एम० आर० गधवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 1980

G.S.R. 919.—Whereas a draft of certain rules to amend the Port of New Mangalore Rules, 1976, was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) at pages 883-884 of the Gazette of India, Part II, section (3) sub-section (i), dated 26th April, 1980, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 466 dated the 14th April, 1980, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of forty-five days from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th May, 1980;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Port of New Mengalore (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Port of New Mangalore Rules, 1976, rule 43 shall be omitted.

[No. PGL-12|74II]
M. R. GATHWAL, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 1980

G.S.R. 920.—In this notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 1979, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-Section (i), dated the 1st March, 1979, at page 175, against item 1, for "Shri V. Sundram, I.A.S." read "Shri V. Sundaram, I.A.S."

[F. No. PW/PTB-16/79/F. No. PW/PTB-30/80]
S. P. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 921 :—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के साथ पठित धारा 13, की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिल नाडु बिजली बोर्ड, मद्रास के मुख्य इंजीनियर (थर्मल) को तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड में, तमिलनाडु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी नियुक्त करते हैं और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 93(ई) दिनांक 1-3-79 में पुन: निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे, क्रम संख्या 9 के सामने प्रविष्टि "अध्यक्ष, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, मद्रास" के स्थान पर प्रविष्टि "मुख्य इंजीनियर (थर्मल), तमिलनाडु बिजली बोर्ड, मद्रास" रखा जाए ।

[फा० स० पी डब्ल्यू/पी टी बी—16/78/फा० सं० पी डब्ल्यू/पी टी बी 29/80]

एस० पी० जैन, उप सचिव

G.S.R. 921.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Chief Engineer (Thermal), Tamil Nadu Eltctricity Board, Madras, as a Trustee to represent the Tamil Nadu Electricity Board, on the Board of Trustees of the Port of Tuticorin and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of* Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, against Serial Number 9, for the entry "Chairman, Tamil Nadu State Electricity Board, Madras" the entry "Chief Engineer (Thermal), Tamil Nadu Electricity Board, Madras", shall be substituted.

[F. No. PTB-16/78/F. No. PTB-29/80]
S. P. JAIN, Dy. Secy.

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 922 :—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 14 में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिस तारीख से राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना है जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं तीन मास की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायु यान (संशोधन) नियम, 1980 है ।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची 11 में खण्ड 'त' के पैरा 6 के उप पैरा (ख) में "10 घंटों में से 5 घंटे से अनधिक काल अनुमोदित संश्लिष्ट युक्ति पर होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "10 घंटे में से 8 घंट से अधिक काल महानिदेशक द्वारा यथाअनुमोदित किसी संश्लिष्ट युक्ति पर होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा० स० एवी—11012/7/79-ए]
एस० एकाम्बरम, निदेशक

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 8th August, 1980

G.S.R. 922.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 193), is hereby published, as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after a period of three months from the date on which the official Gazette containing this notification is made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (.............................Amendment) Rules, 1980.

2. In Schedule II of the *Aircraft Rules, 1937 in sub-para* (b) of para 6 of section 'P', for the words and figure "not more than 5 hours shall be on an approved synthetic device", the words and figure 'not more than 8 hours shall be on a synthetic device as approved by the Director General" shall bo substituted.

[F. No. Av. 11012/7/79-A]
S. EKAMBARAM, Director.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 198

सा०का०नि० 923—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् विस्थापित व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास प्रदान करने सहित उनको मुआवजे का भुगतान करने के प्रयोजन से, इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची मे उल्लिखित संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्ति को अर्जन करना आवश्यक हो गया है,

अतः विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार ने इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची में उल्लिखित निष्क्रान्त सम्पत्ति को अर्जित करने का निर्णय किया है, तथा इसके द्वारा उसका अर्जन करती है।

अनुसूची

सं०	निष्क्रान्त सम्पत्ति के विवरण	शहर तथा कालोनी का नाम, जहां सम्पत्ति स्थित है।
1.	सम्पत्ति सं०-III/1053/2283 (एन) गली हींगा बेग फाटक हबश खान	गली हींगा बेग फाटक हबश खां, दिल्ली

[संख्या-III-1053/2283/नि०स०/शहरी/द०वि०/80-एस०एस०-II]

एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITAION

(Department of Rehabiliation)

New Delhi, the 4th August, 1980

G.S.R. 923.—Whereas the Central Governemnt is of the opinion that it is necessary to acquire the evacuee property specified in the Schedule here to annexed in the Union Territory of Delhi for a Public purpose, being a purpose, with relief and rehabilitation of displaced persons, including payment of compensation to such persons;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation Act, 1954 (44 of 1954), it is notified that the Central Government has decided to acquire, and hereby acquires the evacuee property specified in the Schedul here to annexed.

THE SCHEDULE

No.	Particulars of the evacuee property	Name of the locality and town in which situated.
1.	Property No. III/1053/2283 (N), Gali Hinga Beg, Pathak Habash Khan	Gali Hinga beg, Pathak Habash Khan, Dehli.

[No.III-1053/2283/EP/Urban/SW/80-SS.II.

N.M. WADHWANI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 198J